राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1070/2011

अमर नाथ पारीक **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, वाणिज्य एवं कर विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेश राज कुमावत, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर दिनांक 29.01.1965 को हुई थी। इसके पश्चात अपीलार्थी कार्यालय सहायक के पद से दिनांक 28.08.2001 को सेवानिवृत्त हो गया। सेवानिवृत्ति के समय अपीलार्थी से 35000/– रुपये की वसुली की गई। अपीलार्थी ने एक अपील 176/1994 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें अपीलार्थी ने स्टेपिंग अप के आदेश को निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 29.09.1988 को चुनौती दी। जिसमें अधिकरण ने दिनांक 13.05.1994 को आदेश पारित कर यह आदेश दिया था कि अपीलार्थी से उसे अदा की हुई राशि वसुल नहीं की जाये। परंतु उसके बाद भी अपीलार्थी से प्रत्यर्थी विभाग ने 35000/– रुपये की वसुली उसकी सेवानिवृत्ति के समय कर ली। अधिकरण के आदेशों के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग ने रिट याचिका प्रस्तुत की थी, जो माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.04.2008 को खारिज की। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय उच्च की खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत स्पेशल अपील भी दिनांक 11.11.2008 को खारिज हुई और माननीय उच्चतम न्यायालय में भी एसएलपी दिनांक 13.11.2009 को खारिज हुई। अपीलार्थी ने दिनांक 15.04.2010 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलार्थी ने 35000 रुपये की राशि ब्याज सहित लौटाने का निवेदन किया। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग ने 35000 रुपये लौटाने का निर्णय दिनांक 13.04.2010 को पारित किया, जिसका चेक दिनांक 29.06.2010 के जरिये अपीलार्थी को 35000/– रुपये की राशि लौटाई गई। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति की दिनांक 03.12.2001 से 26.06.2010 तक ग्रेचुटी राशि में से काटी गई राशि

35000/– रुपये नहीं लौटाई गई, जिसके लिए प्रत्यर्थी विभाग ब्याज अदा करने का अधिकारी है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि जिस राशि के विरूद्ध अपीलार्थी ने ब्याज की मांग की है वह राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था इसलिये माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 8–2–1999 में वेतन वृद्धि/स्थिरीकरण आदेश को संशोधित किये जाने को उचित माना गया है और इस राशि को निरन्तर प्राप्त करने की अपीलार्थी की अधिकारिता समाप्त हो गयी। अतः माननीय न्यायालयों द्वारा अपीलार्थी की वसूली के प्रति सहानुभूति अपनाते हुए, उसे अनुग्रहित किया गया है, इसमें नियमविरूद्ध रूप से प्राप्त की गयी राशि की वसूली को माफ किए जाने एवं नियमविरूद्ध राशि की प्राप्ति की निरन्तरता को समाप्त किये जाने पर, अब अपीलार्थी माननीय अधिकरण से किसी भी अवस्था में किसी प्रकार का ब्याज संबंधी अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थी का राजस्थान सेवा नियम–32 के अन्तर्गत वेतन स्टेप अप प्रत्यर्थीगण के आदेश दिनांक 22–9–1988 के द्वारा किया गया। वेतन उन्नयन नियमों के विपरित होने के कारण प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13–5–1994 द्वारा उक्त वेतन स्टेप अप आदेश को निरस्त करते हुए वेतन वृद्धि/वेतन स्थिरीकरण आदेश संशोधित किये जाने पर अधिक उठायी गयी राशि की वसूली करने के आदेश दिये गये। अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या–176/1994 दायर की गयी। अधिकरण के निर्णय दिनांक 8–2–1999 के द्वारा वेतन वृद्धि/स्थिरीकरण आदेश को संशोधित किये जाने को उचित माना तथा अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली को उचित नहीं माना है क्योंकि इसमें अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 08.02.1999 द्वारा अपीलार्थी से वसुली नहीं किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। इसके उपरांत भी अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति पर दिनांक 03.12.2001 को अपीलार्थी से 35000/– की वसुली की गई। अधिकरण द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में खारिज हो गई। अपीलार्थी को 35000/– की राशि दिनांक 26.06.2010 को लौटाई गई। अपीलार्थी से जो ग्रेचुटी की राशि में से 35000/– की राशि काटी गई थी। अतः हम यह पाते हैं कि

अपीलार्थी को देय 35000/– की राशि प्रत्यर्थी विभाग ने गलत रूप से रोके रखी है, जिस पर अपीलार्थी नियमानुसार ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होता है।

4. अतः प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को नियम–89 राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के प्रावधानानुसार 35000/– की राशि पर दिनांक 03.12.2001 से 28.06.2010 तक ब्याज अदा करेंगे। इस आदेश की पालना 2 माह में किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)